

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 103/2024 दायर दिनांक 27.05.2024

वादी

1. ममदु खां पुत्र रसूल खां जाति मुसलमान निवासी खुनखुना की ढाणी तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मांगू खां पुत्र फकीर खां
2. अब्दुल रहमान पुत्र रसूल खां
3. रहीसा पुत्री रसूल खां पत्नी बिलाल खां
4. उमराय बेवा रसूल खां समस्त जाति मुसलमान निवासीगण खुनखुना की ढाणी तहसील डीडवाना
5. तहसीलदार डीडवाना।

दाया बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53,88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री अजीतसिंह राठौड़ वकील वादी।
2. श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह वकील प्रतिवादीगण।

--: अन्तिम निर्णय :-

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि सरहद खुनखुना के खेत खसरा सं0 52 रकबा 0.7200 हैक्टे0, खसरा सं0 55 रकबा 1.4800 हैक्टे0 वाकै सरहद खुनखुना स्टेशन के खसरा सं0 773 रकबा 0.7700 हैक्टे0 तथा वाकै सरहद सानियां के खेत खसरा सं0 154 रकबा 1.7800 हैक्टे0, खसरा सं0 396 रकबा 0.8900 हैक्टे0, खसरा सं0 399 रकबा 0.0800 हैक्टे0, खसरा सं0 405 रकबा 0.1500 हैक्टे0, खसरा सं0 409 रकबा 0.0800 हैक्टे0, खसरा सं0 415 रकबा 1.1200 हैक्टे0, खसरा सं0 432 रकबा 1.9700 हैक्टे0 की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 16.10.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना व तहसीलदार छोटीखादू को निर्देश दिया गया।

दिनांक 18.07.2025

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: प.1(07)रीडर/2024/271 दिनांक 02.06.2025 एवं तहसीलदार छोटीखादू ने अपने पत्रांक: भू.अ./2025/941 दिनांक 13.06.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना एवं तहसीलदार छोटीखादू द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना एवं तहसीलदार छोटीखादू सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: प.1(07)रीडर/2024/271 दिनांक 02.06.2025 एवं तहसीलदार छोटीखादू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू.अ./2025/941 दिनांक 13.06.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

--: आदेश :-

राजस्व ग्राम खुनखुना के खेत खसरा सं0 52 रकबा 0.7200 हैक्टे0, खसरा सं0 55 रकबा 1.4800 हैक्टे0 वाकै सरहद खुनखुना स्टेशन के खसरा सं0 773 रकबा 0.7700 हैक्टे0 तथा वाकै सरहद



उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

सानियां के खेत खसरा सं० 154 रकबा 1.7800 हैक्टे०, खसरा सं० 396 रकबा 0.8900 हैक्टे०, खसरा सं० 399 रकबा 0.0800 हैक्टे०, खसरा सं० 405 रकबा 0.1500 हैक्टे०, खसरा सं० 409 रकबा 0.0800 हैक्टे०, खसरा सं० 415 रकबा 1.1200 हैक्टे०, खसरा सं० 432 रकबा 1.9700 हैक्टे० की भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: प.1(07)रीडर/2024/271 दिनांक 02.06.2025 एवं तहसीलदार छोटीखादू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू.अ./2025/941 दिनांक 13.06.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: पत्रांक: प.1(07)रीडर/2024/271 दिनांक 02.06.2025 एवं तहसीलदार छोटीखादू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू.अ./2025/941 दिनांक 13.06.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

Wkas
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Wkas
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना